राजस्व वाद 36/2022
जीसीएमएस नंबर–2022/178
रामदेव बनाम् श्यामाराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 36/2022

वादीगण–

1. रामदेव पुत्र धींसाराम उर्फ घासीराम जाति नायक निवासी मुन्दियाउ, तहसील–जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्यामाराम
2. सोहनराम
3. लालाराम
4. हीरालाल
5. मुन्नी
6. संतोष
7. गंगा
8. लिछमा पुत्र/पुत्रिया धीसाराम पुत्र घासीराम
9. सन्तु देवी पत्नी स्व.सुल्तानराम
10. दिलीप पुत्र स्व.सुल्तानराम ना.बा संरक्षक जरिये माता सन्तु देवी
11. रामअवतार पुत्र स्व.सुल्तानराम ना.बा संरक्षक जरिये माता सन्तु देवी
12. समुदेवी
13. शारदा देवी
14. पिंकी देवी
15. नरूदेवी
16. परिका
17. बिदामी पुत्रियां स्व.सुल्तानराम
18. नानुड़ी पत्नी पन्नाराम
19. इन्द्रचंद पुत्र पन्नाराम
20. सुप्यारी पुत्री पन्नाराम
21. तीजा पुत्री पन्नाराम (फौत के कायम मुकामात)
    21/1 हड़मान पुत्र तीजा
    21/2 मंगाराम पुत्र तीजा
    21/3 किशनी देवी पुत्री तीजा जातियान नायक, निवासीगण–मुन्दियाउ तहसील–जायल जिला–नागौर।
22. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा नागौर।
23. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

21/6/2022
सहायक कलक्टर ... जायल

राजस्व वाद 36 / 2022
जीसीएमएस नंबर–2022 / 178
रामदेव बनाम् श्यामाराम वगैरह

उपस्थिति :–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुन्नीराम मालोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 21 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 22 परर्फोमा पक्षकार।
4. प्रतिवादी संख्या 23 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय **दिनांक :** 21/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा मुन्दियाउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 32 रकबा 4.5972 हैक्टेयर व मौजा मांजरा का खेत खसरा नंबर 2 रकबा 5.5766 हैक्टेयर रहती चली आई है। मौजा मुन्दियाउ के खेत खसरा नंबर 32 वादी के दादा के नाम उमाराम के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादी के दादा उमाराम के फौत होने के बाद फौतगी नामान्तकरण में धासीराम व पन्नाराम के नाम खातेदारी दर्ज होनी थी लेकिन हल्का पटवारी के सहवन से फौतगी नामान्तकरण उमा पुत्र घीसाराम, पन्ना पुत्र घीसाराम, दर्ज कर दिया गया जबकि फौतगी नामान्तकरण घासीराम पुत्र उमाराम व पन्नाराम पुत्र उमाराम के नाम से दर्ज होना था। जिससे रेकर्ड सुधार किया जा सके। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2015 में वाद पत्र के पैरा संख्या 3 के (क से ख) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी रामदेव व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 कमश श्यामाराम, सोहनराम, लालाराम, हीरालाल, मुन्नी, संतोष, गंगा, लिछमा, के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुन्दियाउ का खेत खसरा नंबर 32 रकबा 4.5972 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 9 से 21 कमश सन्तुदेवी पत्नी सुल्तानराम, दिलिप, रामअवतार, पुत्र सुल्तानराम, समुदेवी, शारदा देवी, पिंकी देवी, नरूदेवी, परिका, बिदामी पुत्रिया सुल्तानराम, नानुड़ी पत्नी पन्नाराम, इन्द्रचंद पुत्र पन्नाराम, सुप्यारी पुत्र पन्नाराम, हड़मान, मंगाराम, पुत्रगण तीजा देवी, किशनी देवी पुत्री तीजा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खारा मांजरा का खेत खसरा नंबर 2 रकबा 5.5766 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 ने दिनांक 25.2.2022 व 23.03.2022 को जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री योगेश

SW
सहायक कलेक्टर
(...ओ.) जायल

कुमार शर्मा ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 21 की पहचान अधिवक्ता श्री मुन्नीराम मालोदिया ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 23 स्वयं का सम्मन स्वंय तामिल होकर प्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 22, 23 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामदेव पुत्र धीसाराम उर्फ घासीराम के पेश हुवे तथा सपठित धारा 136 की तहसीलदार जायल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पत्रांक 3087 दिनांक 25.04.2022 की प्रति, नकल जमाबन्दी ग्राम मुन्दियाउ तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 4 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम खारा मांजरा सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 130 पेश हुवे। घासीराम का मृत्यू प्रमाण संख्या 08112005590024500053/2016 , मुत्यू प्रमाण सुल्तानराम का दिनांक 01.02.2022, मुत्यू प्रमाण पत्र पन्नाराम पुत्र उमाराम संख्या 16/2015 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 21 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 21 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 25.2.2022 व 23.03.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 22, 23 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 25.2.2022 व 23.03.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1

से 21 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है तथा तहसीलदार जायल के पत्रांक 3087 दिनांक 25.04.2022 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में मौजा खारा मांजरा के खतौनी खाता संख्या 4 के खेत खसरा नंबर 32 में दर्ज खातेदार नाम धीसाराम उर्फ धासीराम व पन्नाराम पुत्र उमाराम जाति नायक दोनों को फौत होना बताया है तथा पन्नाराम व धीसाराम उर्फ धासीराम दोनों सगे भाई थे इनके पिता का नाम उमाराम था। वर्तमान खातेदारी के रेकर्ड अनुसार खाता संख्या 4 के खेत खसरा नंबर 32 में दर्ज खातेदार नाम पन्ना पुत्र धीसाराम हिस्सा 1/2, उमा पुत्र धीसाराम हिस्सा 1/2 जाति नायक दर्ज है जबकि इनका वास्तविक नाम पन्नाराम पुत्र उमाराम व धीसाराम पुत्र उमाराम है। वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा खारा मांजरा एव मुन्दियाउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादी रामदेव व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 क्रमश श्यामाराम, सोहनराम, लालाराम, हीरालाल, मुन्नी, संतोष, गंगा, लिछमा, के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुन्दियाउ का खेत खसरा नंबर 32 रकबा 4.5972 हैक्टेयर पूरा रखा गया है एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 21 क्रमश सन्तुदेवी पत्नी सुल्तानराम, दिलिप, रामअवतार, पुत्र सुल्तानराम, समुदेवी, शारदा देवी, पिंकी देवी, नरूदेवी, परिका, बिदामी पुत्रिया सुल्तानराम, नानुड़ी पत्नी पन्नाराम, इन्द्रचंद पुत्र पन्नाराम, सुप्यारी पुत्र पन्नाराम, हड़मान, मंगाराम, पुत्रगण तीजा देवी, किशनी देवी पुत्री तीजा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खारा मांजरा का खेत खसरा नंबर 2 रकबा 5.5766 हैक्टेयर पूरा हक बंट में चाहा गया है। अतः मौजा मुन्दियाउ के खाता संख्या 4 के खेत खसरा नंबर 32 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा मौजा खारा मांजरा के खाता संख्या 130 के खेत खसरा नंबर 2 में प्रतिवादी संख्या 9 से 12 को सहखातेदार घोषित किया जाकर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा मुन्दियाउ के खाता संख्या 4 के खेत खसरा नंबर 32 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा मौजा खारा मांजरा के खाता संख्या 130 के खेत खसरा नंबर 2 में प्रतिवादी संख्या 9 से 12 को सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामदेव व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 क्रमश श्यामाराम, सोहनराम, लालाराम, हीरालाल, मुन्नी, संतोष, गंगा, लिछमा, के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुन्दियाउ का खेत खसरा नंबर 32 रकबा 4.5972 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रतिवादी संख्या 9 से 21 क्रमश सन्तुदेवी पत्नी सुल्तानराम, दिलिप, रामअवतार, पुत्र सुल्तानराम, समुदेवी, शारदा देवी, पिंकी देवी, नरूदेवी, परिका, बिदामी पुत्रिया सुल्तानराम, नानुड़ी पत्नी पन्नाराम, इन्द्रचंद पुत्र पन्नाराम, सुप्यारी पुत्र पन्नाराम, हड़मान, मंगाराम, पुत्रगण तीजा देवी, किशनी देवी पुत्री तीजा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खारा मांजरा का खेत खसरा नंबर 2 रकबा 5.5766 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 36/2022

वादीगण–

1. रामदेव पुत्र घींसाराम उर्फ घासीराम जाति नायक निवासी मुन्दियाउ, तहसील–जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्यामाराम
2. सोहनराम
3. लालाराम
4. हीरालाल
5. मुन्नी
6. संतोष
7. गंगा
8. लिछमा पुत्र/पुत्रिया घीसाराम पुत्र घासीराम
9. सन्तु देवी पत्नी स्व.सुल्तानराम
10. दिलीप पुत्र स्व.सुल्तानराम ना.बा संरक्षक जरिये माता सन्तु देवी
11. रामअवतार पुत्र स्व.सुल्तानराम ना.बा संरक्षक जरिये माता सन्तु देवी
12. समुदेवी
13. शारदा देवी
14. पिंकी देवी
15. नरूदेवी
16. परिका
17. बिदामी पुत्रियां स्व.सुल्तानराम
18. नानुड़ी पत्नी पन्नाराम
19. इन्द्रचंद पुत्र पन्नाराम
20. सुप्यारी पुत्री पन्नाराम
21. तीजा पुत्री पन्नाराम (फौत के कायम मुकामात)
    21/1 हड़मान पुत्र तीजा
    21/2 मंगाराम पुत्र तीजा
    21/3 किशनी देवी पुत्री तीजा जातियान नायक, निवासीगण–मुन्दियाउ तहसील–जायल जिला–नागौर।
22. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा नागौर।
23. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 36 / 2022
जीसीएमएस नंबर–2022 / 178
रामदेव बनाम् श्यामाराम वगैरह

उपस्थिति :–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मुन्नीराम मालोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 21 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 22 परफोंमा पक्षकार।
4. प्रतिवादी संख्या 23 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 21 श्री मुन्नीराम मालोदिया अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 23 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा मुन्दियाउ के खाता संख्या 4 के खेत खसरा नंबर 32 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा मौजा खारा मांजरा के खाता संख्या 130 के खेत खसरा नंबर 2 में प्रतिवादी संख्या 9 से 12 को सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामदेव व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 कमश श्यामाराम, सोहनराम, लालाराम, हीरालाल, मुन्नी, संतोष, गंगा, लिछमा, के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुन्दियाउ का खेत खसरा नंबर 32 रकबा 4.5972 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।
2. प्रतिवादी संख्या 9 से 21 कमश सन्तुदेवी पत्नी सुल्तानराम, दिलिप, रामअवतार, पुत्र सुल्तानराम, समुदेवी, शारदा देवी, पिंकी देवी, नरूदेवी, परिका, बिदामी पुत्रिया सुल्तानराम, नानुड़ी पत्नी पन्नाराम, इन्द्रचंद पुत्र पन्नाराम, सुप्यारी पुत्र पन्नाराम, हड़मान, मंगाराम, पुत्रगण तीजा देवी, किशनी देवी पुत्री तीजा देवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खारा मांजरा का खेत खसरा नंबर 2 रकबा 5.5766 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

24.2.22 10/5/22

राजस्व वाद 36/2022
जीसीएमएस नंबर–2022/178
रामदेव बनाम् श्यामाराम वगैरह

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)